THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) to (e) No Officer of the Gun and Shell Factory Cossipore was arrested on 12th June, 1987 or detained on 13th June, 1987.

A meeting was requested by an Indian firm for discussion with a foreign representative of a UK firm on certain technical matters relating to supply of hollow intrusions. The meeting with foreign representative and three representatives of the Indian firm was attended by the Officer-in-Charge of the factory and 2 other officers of Gun and Shell Factory on 12-6-1987.

On the basis of certain information the officials of CBI confronted the foreign representative of UK firm and recovered two drawings from his brief-case. One of them was identified by an officer of Ordnance Factory Board as not relating to any defence item produced in the Ordnance Factories. The other drawing was an unclassified one for seamless tubes. No report has been receivd from the CBI so far.

The Ordnance Factory Board made an enquiry into the happening. They have concluded that there was no evidence that any classified documents|information|design document was handed over divulged. The meeting was primarily intended to be interaction on new materials, process and technology.

राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में दूरदर्शन आकाशवाणी से प्रसारण करने की सुविधायें प्राप्त करने का अनुरोध

2247. **श्री अलादी अरूण उर्फ वी० अरुणाचलम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुये राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान, विपक्षी उम्मीदवार श्री अय्यर ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने श्री अय्यर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) से (ग) राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर ने अनुरोध किया था कि राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्र के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये । इस अनुरोध की जांच की गई थी। फिलहाल सरकार की जो स्कीम है वह लोक सभा/विधान सभाओं के चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन से चुनाव प्रसारण किये जाने की है । यह स्कीम राजनितिक दलों के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई थी और मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस स्कीम का राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिये विस्तार करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों तथा निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक था । क्योंकि इसके लिये पर्याप्त समय नहीं था, इसलिये श्री अय्यर को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

Freight equalisation policy

2248. SHRI M. A. BABY:
SHRI DIPEN GHOSH:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that freight equalisation policy benefits Western, Northern and Southern States at the cost of Eastern States;

(b) whether the Eastern States are losing raw materials from other parts of the country; and